उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

मक्सी रोड़, उज्जैन 456010 (म.प्र.)

शक्कर परिवहन ई–निविदा सूचना

वर्ष 2022–2023

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

मक्सी रोड़ उज्जैन – 456010 (म.प्र.)

E-mail : purchaseuds@gmail.com, ujjaindairy@gmail.com

महाप्रबंधक(सं.स / क्रय)	प्रभारी(एमआईएस)
प्रभारी(वित्त)	प्रभारी(उत्पादन)

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT
(आई.एस.ओ. 9001:2015, 14001:2015 एवं 22000:2018 प्रमाणित संस्था)
GSTIN - 23AAAAU0051C1ZB PAN No. AAAAU0051C
Sr. Date:

(ई–निविदा सूचना)

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन द्वारा शक्कर कारखाना बुरहानपुर से उज्जैन सहकारी दुग्ध संध के मुख्य संयंत्र मक्सी रोड़ उज्जैन तक शक्कर परिवहन हेतु ई–निविदाऐ आमंत्रित की जाती है। निविदा फार्म निर्धारित मूल्य ऑनलाईन जमा कर मध्यप्रदेश ई–टेण्डर की वेबसाईट www.mptenders.gov.in से दिनांक 12.09.2022 से क्रय की जा सकती है। ई–निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण एम.पी.स्टेट को–आपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की वेबसाईट पर www.sanchidairy.com देखा एवं पढ़ा जा सकता है। निविदा विक्रय की अंतिम दिनाक 01.10.2022 समय दोपहर 12.30 बजे तक है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन के पास पूर्ण अथवा सम्पूर्ण निविदाओं को आशिंक अथवा पूर्ण रूप से स्वीकार /अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा। निविदा में किसी भी प्रकार की संशोधन की सूचना केवल ऑनलाईन जारी की जावेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT
(आई.एस.ओ. 9001:2015, 14001:2015 एवं 22000:2018 प्रमाणित संस्था)
GSTIN - 23AAAAU0051C1ZB PAN No. AAAAU0051C

Sr. Date:

क्रय/

निविदा प्रपत्र मूल्य 1000.00

निविदा कार्यक्रम

निविदा कार्य :– **बुरहानपुर से उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन मक्सी रोड़ तक शक्कर परिवहन की तीन वर्ष हेतु ई–निविदा**

निविदा ऑनलाईन विक्रय प्रारम्भ जारी करने की तिथि एंव समय	दिनांक 12.09.2022 समय दो. 01:30 बजे
निविदा विक्रय करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 01.10.2022 समय दो. 12.:30 बजे
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 01.10.2022 समय दो. 12:30 बजे
निविदा खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 03.10.2022 समय दो. 02.00 बजे
निविदा खोलने का स्थान	कार्यालय उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सी रोड़ उज्जैन (म.प्र.) 456010
पत्र व्यवहार हेतु पता	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सी रोड़ उज्जैन (म.प्र.) 456010
अमानत राशि (केवल ऑनलाईन ही जमा करें)	10000.00

सलंग्न प्रपत्र

01–परिशिष्ट (अ) –––– सामान्य नियम एवं शर्तें
02–परिशिष्ट (ब) –––– अनुबंध की शर्तें
03–परिशिष्ट (स) –––– तकनीकी प्रपत्र
04–परिशिष्ट (द) –––– दर प्रपत्र (केवल ऑनलाईन ही प्रस्तुत करें)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

परिशिष्ट (अ)

निविदा की शर्ते

1. निविदा प्रपत्र पूर्ण कर निविदा के साथ अमानत राशी रूपयें 10000/. (अक्षरी रूपये दस हजार मात्र) का आनलाईन जमा किया जाना आवश्यक है। अमानत राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा। यदि निविदा स्वीकार नही की जाती है तो ऐसी स्थिति में अमानत राशि निविदा प्रकिया पूर्ण होने के उपरान्त निविदाकार के खाते में वापस कर दी जावेगी। निविदा दिनांक 03.10.2022 को दोपहर 02:00 बजे समिति के समक्ष खोली जावेगी। निविदा खोलते समय निविदाकर्ता अथवा उसके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।

2. निविदा स्वीकृत होने पर प्रतिभूति राशि रूपयें 25000/.(अक्षरी रूपये पच्चीस हजार मात्र) 03 दिवस में जमा कराना होगी जोकि निविदा अवधि समाप्त होने पर पूरे कार्यकाल की समीक्षा के पश्चात वापस की जावेगी, तथा इस पर कोई ब्याज देय नही होगा। निश्चित अवधि में प्रतिभूति राशी जमा न करने पर अमानत राशि राजसात करते हुए उन स्थानों के लिये निविदा अन्य निविदाकारों को स्वीकृत की जा सकेगी।
3. निविदाकर्ता की दर स्वीकृत होने पर उक्त निविदाकार को अमानत राशि को छोड कर शेष निविदाकर्ता की अमानत राशि 30 दिवस में उनके खाते में वापिस कर दी जावेगी।

4. परिवहनकर्ता को परिवहन की सभी शर्ते मान्य होकर सत्यापित निविदा प्रपत्र जमा करना होगा।

5. परिवहन दर अनुमोदन के पश्चात तुरन्त प्रभावशील मानी जावेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी को आवश्यकतानुसार शक्कर की मात्रा (परिवहन) को घटाने या बढाने पूर्ण अधिकार रहेगा।
6. यह निविदा तीन वर्ष की अवधि के लिये आंमत्रित की जा रही है। कार्य सन्तोषप्रद होने पर आपसी सहमती से एक–एक करके दो वर्ष के लिये कार्य अवधि और बढाई जा सकेगी।
7. परिवहनकर्ता को परिवहन करने के पश्चात परिवहन का बिल भुगतान हेतु कार्यालय में माल प्राप्ती की रसीद के साथ प्रस्तुत करना होगा।
8. इनकम टेक्स, GST वसूली एवं सरकार द्वारा उस समय अन्य कोई टेक्स लगाने पर परिवहनकर्ता के देयक से कटौती की जावेगी। इसके लिये ट्रक/मेटाडोर मालिक से आयकर अधिनियम–1961 की धारा–194 "C के तहत DECLARATION (घोषणा–पत्र), पेन नम्बर की छायाप्रति के साथ निर्धारित प्रारूप में दिया जाना है। घोषणा–पत्र एवं पेन नम्बर नही होने की स्थिति में नियमानुसार 20 प्रतिशत TDS बिल भुगतान के समय काट लिया जावेगा। परिवहन देयक का भुगतान RTGS के माध्यम से किया जायेगा। निम्न जानकारी बिल पर प्रिन्ट कराई जावे।
    1. ट्रांसपोर्टर का नाम (जिस नाम से बैंक में खाता है)
    2. बैंक एवं शाखा का नाम।
    3. बैंक का खाता नम्बर।
    4. IFSE कोड नम्बर
    5. पेन नम्बर।
    6. जीएसटी नंबर

9. दर अनुमोदन के पश्चात परिवहन कर्ता द्वारा उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन के निर्देशानुसार निर्धारित समयावधि में परिवहन वाहन शक्कर कारखाना पर लगाना एवं शक्कर पूर्ण मात्रा में लाना आवश्यक होगा। परिवहनकर्ता द्वारा वाहन नही लगाने पर संघ द्वारा अन्य स्त्रोत से वैकल्पिक व्यवस्था कर आधिक्य राशि परिवहनकर्ता से वसूल की जावेगी। संघ द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन व परिवहन वाहन नही लगाने पर EMD राशि राजसात की जावेगी।

10. अनुबन्ध अवधि में यदि डीजल की दरो में कमी या वृध्दि होती है, तो दर वृध्दि या कमी की गणना उज्जैन दुग्ध संघ के नियमानुसार की जावेगी। डीजल के अतिरिक्त स्पेयर पार्टस, आईल तथा टायर, टयूब आदि की दरों में वृद्धि होने पर अनुबंधित दरों में वृद्धि नही की जावेगी।

11. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन के पास एक अथवा सम्पूर्ण निविदाओं को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से स्वीकार /अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।

12. निविदाकर्ता की निविदा स्वीकृति हो जाने पर रूपये 1000/— के नॉन —ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर नियमानुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन के साथ कार्यादेश प्राप्ती 07 दिवस में अनबंध निष्पादित करना होगा, जिसका प्रारूप सलंग्न ह।

13. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति निर्मित होने पर प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न हाने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

14. न्यायिक क्षेत्र उज्जैन रहेगा।

अनुबंध की शर्ते

परिशिष्ट (ब)

1. परिवहन कार्य तीन वर्ष के लिये मान्य होगी। जिसे कार्य संतोषजनक पाये जाने पर आपसी. सहमति के आधार पर एक–एक वर्ष कर दो वर्ष तक बढाया जा सकेगा।

2. सामान्यतः परिवहन हेतु लगने वाली खाली वाहनो की मांग के विषय में सूचना ठेकेदार को इस कार्यालय द्वारा दी जावेगी।

3. परिवहन कार्य के लिये मांग प्राप्ति/सूचित करने से दो दिवस में वाहन उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। वाहन उपलब्ध न कराने की स्थिति में उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन द्वारा अपने स्तर पर वैकल्पिक व्यवस्था कर कार्य कराया जावेगा जिसमें होने वाले अधिक भुगतान की गई राशि ठेकेदार के देयक से वसूल की जावेगी तथा इस बाबद सूचना पृथक से ठेकेदार को देने के लिये संयंत्र बाध्य नही होगा।

4. उज्जैन सहकारो दुग्ध संघ मर्या., उज्जैन में ट्रक खाली करने का समय कार्यालय कार्य दिवस में प्रातः 9.00 से सांयकाल 3.00 बजे तक रहता है। सांय 3.00 बजे के बाद खाली कराने आये ट्रको को खाली कराना अथवा न कराना प्रबन्ध के अधिकार में रहेगा।

5. परिवहन ठेकेदार को किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नही किया जावेगा।

6. परिवहन ठेकेदार को भुगतान हेतु अपना मुद्रित देयक दो प्रतियों में जिसमे क्रं. दिनांक, पता आदि उल्लेखित हो माल प्राप्ती की वैध रसीद के साथ प्रस्तुत करना होगा।

7. परिवहन ठेकेदार को उनके देयको का भुगतान उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, द्वारा (आरटीजीएस) द्वारा किया जावेगा।

8. नियमानुसार आयकर/सर्विस टेक्स आदि का कटौत्रा भाडा देयको से काटा जावेगा।

9. परिवहन करते समय मार्ग में किसी प्रकार की टूट–फूट नुकसान, शक्कर गीला होना, कमी आदि के लिये ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा तथा इससे सम्बन्धित राशि उसके परिवहन देयक एवं सुरक्षानिधि से वसूल की जावेगी।

10. लोडिंग अनलोडिंग व्यय परिवहन ठेकेदार को वहन करना होगा।

11. परिवहन ठेकेदार या उसके प्रतिनिधियों का व्यवहार संस्था के अधिकारियों/कर्मचारियों व हम्मालों के साथ सौहादपूर्ण होना चाहिये। यदि ट्रक ड्रायवर की असावधानी से उज्जैन दुग्ध संघ की जान–माल सम्पत्ती आदि की कोई हानि हाती है, तो उसकी क्षतिपूर्ति का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।

12. परिवहन ठेकेदार के वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों के विरूध्द शासकीय कानून अनुसार की जाने वाली कार्यवाही की जवाबदारी भी ठेकेदार की होगी व यदि इस बाबद कोई हानि होगी तो राशि ठेकेदार से वसूल की जावेगी।

13. उक्त शर्तो के अलावा मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन दुग्ध संघ उज्जैन द्वारा समय – समय पर जो परिवहन सम्बन्धी सूचनायें/आदेश दिये जावेगे, उनका पालन हेतु ठेकेदार स्वयं बाध्य होगा।

14. स्वीकृत दरें अनुबन्ध समाप्ति तक मान्य रहेगी। अनुबन्ध अवधि में यदि डीजल दरों में कमी/वृद्धि होती है तो ही अनुबन्ध दर में अनुपातिक आधार पर कमी/वृद्धि की जावेगी। दर में कमी / वृद्धि की गणना उज्जैन दुग्ध संघ के नियमानुसार की जावेगी। डीजल के अतिरिक्त स्पेयर पार्टस, आइल ट्यूब टायर आदि की दरों में वृद्धि होने पर अनुबन्धित दरों में वृद्धि नही की जावेगी।

15. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति निर्मित होने पर प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

16. अनुबंध की शर्तो में परिस्थिति वश परिवर्तन या शिथिल करने का अधिकार प्रबंध पक्ष के पास सुरक्षित रहेगा।

17. न्यायिक क्षेत्र उज्जैन रहेगा।

:

परिशिष्ट (स)

शक्कर परिवहन हेतु ई–निविदा वर्ष 2022–23

ई –निविदा तकनीकि प्रपत्र

01	विवरण	जानकारी
01	परिवहनकर्ता का नाम	
02	परिवहनकर्ता पता	
03	पेन नंबर	
04	जीएसटी नंबर	
05	फर्म का पंजीयन कमांक	
06	ईएमडी की राशि (रसीद अपलोड करें)	
07	मोबाईल नंबर	

नोटः– उक्त समस्त आवश्यक जानकारियों की प्रति निविदा फार्म के साथ ऑनलाईन अपलोड करें।

निविदाकार के हस्ताक्षर (मुद्रा सहित)

परिशिष्ट **(द)**

दर प्रपत्र

क.	कार्य का नाम	दर
01	शक्कर कारखाना बुरहानपुर से उजैन सहकारी दुग्ध संघ तक शक्कर परिवहन दर प्रति किलोमीटर (समस्त कर,व्यय एवं टोल टैक्स सहित)	केवल ऑनलाईन द्वारा प्रस्तुत करें।
02	निविदा प्रस्तुत करते समय डीजल की दर प्रति लीटर	

नोट :–

उपरोक्त दरें समस्त व्यय /कर आदि सहित है तथा टोल टैक्स एवं किसी प्रकार का कोई टैक्स /'कर' का भुगतान नहीं किया जावेगा।